

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर  
(पीठासीन अधिकारी भावना गर्ग)  
आर.ए.एस

प्रकरण सं./वाद पत्र/एल.आर./48/2019

1. श्री हरदयाल पुत्र सूरजमल जाति गुर्जर निवसी मथानिया तहसील भिनाय जिला अजमेर (प्रार्थी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी श्री शैलेन्द्र शर्मा

निर्णय दिनांक 05.08.2019

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा खटाणा का खेडा, पटवार हल्का सिंगावल, भू अभिलेख निरीक्षक सिंगावल के खसरा नं. 2169/1735 रकबा 0.35 हैं0 किस्म नहरी-1 व 2223/2167 रकबा 0.1350 किस्म नहरी-1 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काशत की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता है। अप्रार्थी सं. 1 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया है। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी का न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा खटाणा का खेडा, पटवार हल्का सिंगावल, भू-अभिलेख निरीक्षक सिंगावल के खसरा नं. 2169/1735 रकबा 0.35 हैं0 किस्म नहरी-1 व 2223/2167 रकबा 0.1350 किस्म नहरी-1 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू-अभिलेख निरीक्षक-सिंगावल को 1,500/-रुपये (अक्षरे- एक हजार पाँच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त फुतबद्ध पडौसी एवं खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित करेगें तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गर्ग)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी  
भिनाय जिला अजमेर

